10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. दो–निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/4715

बेताल सिंह पुत्र कोक सिंह यादव
मृतक वारिस
1. श्रीमती विजयकुमारी पत्नि स्व.बेतालसिंह
2. गौरव पुत्र स्व.बेताल सिंह यादव
3. कुँ. सिम्मी पुत्री स्व.बेताल सिंह
दोंनो अवयस्क संरक्षक माता
श्रीमती विजयकुमारी पत्नि स्व.बेतालसिंह
ग्राम रातीखेड़ा तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर , म0प्र0 ------आवेदक

विरूद्ध

1--प्राण सिंह पुत्र फुल्ला हरिजन
ग्राम रातीखेड़ा तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश
2– मध्य प्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर अशोकनगर ----अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–3 की कंडिका 30 अनुविभागीय अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 13/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–10–17 के विरूद्ध)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)

अशोकनगर स्थिति जिला न्यायालय से ग्राम रातीखेड़ा मात्र आधा फरलॉग की दूरी पर है जो नगरीय क्षेत्र की सीमा में है। तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 10 अ–19 2001–02 में पारित आदेश दि. 11–5–2002 से रातीखेड़ा की भूमि सर्वे कमांक 214/1/1 रकबा 0.418 हैक्टर एवं सर्वे कमांक 237/2/3 रकबा 0.582 हैक्टर भूमि का पट्टा अनावेदक क्र–1 को प्रदान कर दिया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/4715

बेताल सिंह मृतवारिस श्रीमती विजय कुमारी आदि विरुद्ध प्राण सिंह म0प्र शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 13/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 12/10/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23/7/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	